मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

: आदेश :

24 MAY 2017
भोपाल दिनांक

क्रमांक एफ 11–03/2017/2/34 :: राज्य शासन द्वारा जारी किए गए समसंख्यक आदेश दिनांक 25.01.2017 की कंडिका क्रमांक 3(ख)ii तथा 3(ग) VI में एतद् द्वारा निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

3(ख)ii उपरोक्तानुसार लिफाफा–अ एवं ब पर अर्हता संबंधी निर्णय निम्न समिति द्वारा लिया जायेगा :–

1. अधीक्षण यंत्री (प्रोक्योरमेंट)	–	अध्यक्ष
2. संयुक्त संचालक वित्त/लेखाधिकारी	–	सदस्य
3. अधीक्षण यंत्री संबंधित मण्डल	–	सदस्य
4. कार्यपालन यंत्री (प्रोक्योरमेंट)	–	सदस्य सचिव
5. कार्यपालन यंत्री संबंधित खण्ड	–	सदस्य

यह समिति सर्वप्रथम लिफाफा–अ पर अर्हता के संबंध में निर्णय लेगी, तदोपरांत अर्ह पाये गये निविदा प्रस्तावों के लिफाफा–ब पर विचार कर निर्णय लेगी। संबंधित मंडल के अधीक्षण यंत्री एवं संबंधित खंड के कार्यपालन यंत्री के उक्त समिति की बैठक में उपस्थित नहीं हो पाने की स्थिति में निविदा के लिफाफा "अ" एवं "ब" पर अर्हता संबंधी निर्णय लिये जाने के पूर्व प्रकरण में उनका मत प्राप्त किया जावे तथा समिति की बैठक में अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव (कार्यपालन यंत्री प्रोक्योरमेंट) व शेष उपस्थित सदस्यों द्वारा उक्त मैदानी अधिकारियों से प्राप्त किये गये मत को सम्मिलित करते हुये अर्हता संबंधी निर्णय लिया जा सकेगा।

3(ग)VI निविदा निराकरण समिति की अनुशंसा के अनुसार संबंधित कार्यालय प्रमुख (प्रमुख अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता) निविदा निराकरण संबंधी पत्र जारी करेगा। तदोपरांत संबंधित खंड का कार्यपालन यंत्री सफल निविदाकार को उसी दिन Letter of Acceptance जारी करेगा और इसे www.mpeproc.gov.in पोर्टल पर तथा विभाग की वेबसाईट पर उसी दिन अपलोड करेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

24/05/2017
(राजेश शाक्यवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ. क्रमांक एफ 11–03 / 2017 / 2 / 34 भोपाल दिनांक 24 MAY 2017

प्रतिलिपि :–

1– निज सचिव, माननीय मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।

2– सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग।

3– प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग,म.प्र.भोपाल।

4– मुख्य महाप्रबंधक, म.प्र.जल निगम मर्या. भोपाल।

5– मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र......................(समस्त)

6– अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, ...मण्डल (समस्त)

7– कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, खण्ड...........................(समस्त)

/2017

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग